

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-3264/दो-9-2017-17(19)/2013
लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अशोक कुमार लाल, उप जिलाधिकारी पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 27.11.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि(उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन ए-166, सेक्टर-41, नोएडा भवन निर्माण हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./72218 से रू0-5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- 2- यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- 3- उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-3264(1)/दो-9-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सम्परीक्षा अधिकारी क्रास (viii) फण्ड महालेखाकार, कार्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- श्री अशोक कुमार लाल, उपजिलाधिकारी, सम्बद्ध राजस्व परिषद, लखनऊ।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।